

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(वित्त एवं व्यय)

वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 25/2017

[वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 15/2017 का शुद्धि-पत्र]

विषय: डी.एल.वाई. टैक्सी किराये पर लेने के लिए दरों में संशोधन ।

क्र.सं.	टिप्पणी
1	8700/-रुपये और उससे अधिक के ग्रेड वेतन वाले अधिकारियों (छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार) को 7वें वेतन आयोग में स्तर-13 और उससे ऊपर के मूल पद के रूप में पढ़ा जाए ।
2	6600/- रु. से अधिक और 8700/- रु. से कम ग्रेड वेतन वाले अधिकारियों (छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में स्तर-12 में मूल पद के रूप में पढ़ा जाए ।
3	6600/- रु. के ग्रेड वेतन वाले अधिकारियों (छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार) को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में स्तर-11 में मूल पद के रूप में पढ़ा जाए ।

- (2) ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन के फलस्वरूप प्राप्त ग्रेड वेतन को डी.एल.वाई टैक्सी की हकदारी/दर/ऊपरी सीमा को नहीं माना जाएगा ।
- (3) ये आदेश/सुविधाएँ केवल नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हैं ।
- (4) वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 15/2017 दिनांक 01.08.2017 में यथा वर्णित अन्य निबंधन एवं शर्तें वहीं रहेंगी ।

(संतोष कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

सं. एफ.ई.15(8)2010/डी.डी.ए./471

दिनांक : 21.09.2017

प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. उपाध्यक्ष महोदय/वित्त सदस्य/अभियंता सदस्य के निजी सचिव;
2. सभी प्रधान आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी/मुख्य विधि सलाहकार;
3. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त एवं सचिव/मुख्य वास्तुविद्/आयुक्त (खेल);
4. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता (मुख्यालय);

5. निदेशक, भूमि लागत निर्धारण / लेखा परीक्षा / वित्त / कार्य;
6. निदेशक (कार्मिक) I एवं II / सतर्कता / नजारत / उद्यान (पश्चिम-पूर्व और उत्तर-पश्चिम);
7. सभी क्षेत्रीय उप मुख्य लेखा अधिकारी / उप मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्यालय)-I / उप वित्त सलाहकार (आवास)- I ;
8. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (आकस्मिक व्यय) / वरिष्ठ लेखा अधिकारी (खेल);
9. गार्ड फाइल ।

मन्तव्य
15/11
वरिष्ठ लेखा अधिकारी
(वित्त एवं व्यय)